दिनांक	या कार्यवाही	
16/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० मूल वाद आर्डर 7 R 11 स्वीकार कर खारिज किया जा चुका है इसलिए अब 7-I प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है अतः मूल वाद आर्डर 7 R 11 में खारिज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर ते मर्ज हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक	